माननीय सांसदों को संविधान द्वारा सदन में अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी दी गयी है: लोक सभा अध्यक्ष

...

संसद में किन्हीं शब्दों अथवा वाक्यांशों को बैन नहीं किया गया है: लोक सभा अध्यक्ष

...

विलोपित करने का निर्णय हर स्थिति में सभापति के निर्देश पर ही होता है इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है: लोक सभा अध्यक्ष

...

वर्ष 1986, 1992, 1999, 2004 तथा 2009 में भी ऐसे संकलन निकाले गए हैं: लोक सभा अध्यक्ष

...

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2022: लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में मीडिया को सम्बोधित किया तथा 'असंसदीय शब्दों की सूची' में कुछ नए शब्दों के शामिल किए जाने से संबंधित ख़बरों पर कुछ तथ्य रखे। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि माननीय सांसदों को संविधान द्वारा सदन में अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी दी गयी है।

श्री बिरला ने ज़ोर देकर कहा कि संसद में किन्हीं शब्दों अथवा वाक्यांशों को बैन नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि संसद में सभी सदस्यों को अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है। उन्होंने आगे कहा कि सभा की कार्यवाही से किन्हीं शब्दों अथवा वाक्यांशों को विलोपित करने का निर्णय हर स्थिति में सभा के अध्यक्ष अथवा सभापति के निर्देश पर ही होता है और इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है।

श्री बिरला में सूचित किया कि लोक सभा के कार्य संचालन नियमों के नियम 380 और 381 में अंतरगत असंसदीय शब्दों के संकलन नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन संकलनों में शामिल शब्द पीठासीन अधिकारियों, सांसदों तथा विधायकों के मार्गदर्शन मात्र के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक सभा सचिवालय द्वारा 'असंसदीय शब्दों एवं वाक्यांशों' के प्रकाशन कि एक लंबी परंपरा है और पहली बार ऐसा संकलन वर्ष 1954 में निकाला गया था और स्वाधीनता के पूर्व में तत्कालीन सेंट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली, प्रोविजनल पार्लियामेंट आदि में तत्कालीन पीठासीन अधिकारियों द्वारा जिन शब्दों या वाक्यांशों को सभा की कार्यवाही से निकाला गया था, उन शब्दों को भी शामिल किया गया। श्री बिरला ने यह भी बताया कि असंसदीय शब्दों का संकलन मात्र ऐसे शब्दों का संकलन है, जो पूर्व में किसी न किसी विधायिका के द्वारा अपनी कार्यवाही से विलोपित किए गए हैं।

श्री बिरला ने सूचित किया कि समय-समय पर इस प्रकार के संकलन निकाले जाते रहे है क्योंकि अलग-अलग समय पर पीठासीन अधिकारियों के द्वारा शब्दों एवं वाक्यांशों को सभा की कार्यवाही से विलुप्त करने के आदेश दिए जाते रहे हैं ताकि सभाओं में कार्यवाही मर्यादित, गरिमापूर्ण तथा शालीन तरीके से हो।

वर्ष 1986, 1992, 1999, 2004 तथा 2009 में भी ऐसे संकलन निकाले गए हैं। वर्ष 2018 के पश्चात यह संकलन लोक सभा इंट्रानेट तथा मेम्बर पोर्टल पर संसद सदस्यों के उपयोग के लिए रखा जाता रहा है। श्री बिरला ने यह भी स्पष्ट किया कि चर्चा के क्रम में सदन के पीठासीन अधिकारी यदि उचित समझें तो संदर्भ के तौर पर उन शब्दों या वाक्यांशों को रिकार्ड में देख सकते हैं जिन्हें पूर्व में विलोपित किया गया है।